प्रकरण संख्या 28/2019 हरिसिंह बनाम मोहनसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.09.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कालागुमान में वादीगण के खाते एवं कब्जे की आराजियात स्थित होकर पीढ़ियों से वादीगण का कब्जा चला आ रहा है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :– ''अ'' की आराजी नंबर 2336 से 2339, 2343 से 2346, 2358, 2358/3639, 2359 से 2363 कुल किता 15 रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा 5 बिस्वांशी। ''ब'' की आराजी नंबर 2342 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 10 बिस्वांशी। ''स'' की आराजी नंबर 2349 से 2352, 2354, 2355 कुल किता 6 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा 15 बिस्वांशी। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार है। माफिक खेवट खतौनी 1350 फसली उक्त भूमि के खातेदार 1/2 हिस्से के पीथा पिता मोती तथा 1/2 हिस्से के खातेदार रूपा, चेना, धन्ना पिता केशा होकर इसी अनुरूप काबिज चले आ रहे हैं। पीथा लाऔलाद फोत हुआ, किन्तु उसने फोत होने से पूर्व केशा के पुत्र धन्ना को गोद लिया, जिससे धन्ना पीथा की भूमि पर काबिज हुआ। वादीगण धन्ना के वारिस होकर पीथा के समय से काबिज चले आ रहे हैं, किन्तु वाद वर्णित भूमि 1/2 वादीगण के बजाय केशा के तीनों पुत्रों के नाम चली गयी, जबकि 1/2 हिस्सा वादीगण के नाम दर्ज होना चाहिए था, जिसे 1/3 कर दिया गया है, जो गलत है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजियात के 1/3 हिस्से के बजाय 1/2 हिस्सा वादीगण के नाम दर्ज किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 16.05.2018 से वादीगण का वाद डिक्री किया, जिससे रूष्ट होकर दिनांक 17.07.2019 को अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से वकील श्री गिरीश चन्द्र पुरोहित उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व लोक अदालत की तामील अपीलान्ट/प्रतिवादी को हुई, परन्तु बीमार होने के कारण व उपस्थित नहीं हो सका। ठीक होने पर पता किया तो दिनांक 18.06.2019 को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.11.01 13:48:52 IST
Reason: SelfAttested

जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः मयाद कण्डोन फरमायी जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया।

अखण्डित शपथ पत्र, व्यक्त कारणों एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टि न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

वक्त बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने राजीनामे के अनुसार वाद डिक्री किया है, जबकि राजीनामें में सभी पक्षकारों की न तो उपस्थिति थी और न ही उनके हस्ताक्षर हैं। इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में राजीनामे अनुसार वाद एकतरफा डिक्री कर दिया, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिकानुसार फाईल तामिल में थी, परन्तु बिना तामिल हुए अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर राजीनामे के आधार पर वाद डिक्री कर दिया, जबकि राजीनामें पर अपीलान्ट सहित कई प्रतिवादियों के हस्ताक्षर नहीं है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामें के आधार पर जो निर्णय पारित किया गया है, वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 16.05.2018 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारान को साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देकर एवं सुनकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.11.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.11.01 13:48:52 IST
Reason: SelfAttested

(अनीता मीना)
भू-प्रबन्धन अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर